JALAUN POLICE

दिनांक – 29.04.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओं के वध जैसे अपराध में संलिप्त 02 अभियुक्तगण पर रा.सु.का (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी।

कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा एक सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत ग्राम गुलौली के जंगल में गौवंशीय पशुओं का वध करके लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले 02 अभियुक्त 1. हसनैन पुत्र कलीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन 2. आलम पुत्र हनीफ मोहम्मद उर्फ छोटेलाल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत ग्राम गुलौली के जंगल में गौवंशीय पशुओं का वध करके लोक व्यवस्था को प्रभावित करने के संबन्ध में दिनांक 30.03.2025 को उपरोक्त 02 अभियुक्तगण को उनके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 68/2025 धारा-3/5/8 गोहत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 व 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये जेल भेजा गया था। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हुई थी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के बाद लोगों में विश्वास कायम हो सका। अभियुक्तगण वर्तमान मे जिला कारागार उरई में निरूद्ध हैं। अभियुक्तगण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत थे। N.S.A.अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्तगण को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरूद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

क्षेत्र की लोक व्यवस्था बनाये रखने एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु उपरोक्त 02 अभियुक्तगण के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अन्तर्गत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गयी। उक्त कार्यवाही से जनमानस मे पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. हसनैन पुत्र कलीम उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन
2. आलम पुत्र हनीफ मोहम्मद उर्फ छोटेलाल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी जनपद जालौन।